2021/197

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट बयाना, भरतपुर (राज.)

मुकदमा अमरजीत बनाम पूरनसिंह वगैराह

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 212 आरटीए एक्ट नं. 82 सन 2021

तारीख व हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
23.06.2021	आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के तहत प्रार्थीअमरजीत मय वकील श्री विवेक जैन एडवोकेट द्वारा उपस्थित होकर पेश किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजात रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस को सुना गया, जिसपर मनन किया गया। जिससे प्रथम दृष्ट्या केस सुविधा का संतुलन एवं अपरमित क्षति प्रार्थी के हक में कायम हो रही है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी दिनांक 06.08.2021 तक प्रार्थना पत्र की मद संख्या 02 में वर्णित विवादित आराजी खसरा नं. 167,218,254,273,443,632,662,663,724,725,726,727,752,806,807,812,813,632वा के ग्राम ठिकरिया तहसील बयाना पर स्थित है, पर अप्रार्थीगण वादी/प्रार्थी अमरजीतके हिस्से तक रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है।यदि उक्त स्थगन आदेश बावत् कोई आपति या उज्र हो तो नियत तारीख पेशी पर न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। प्रार्थना पत्र दर्ज पंजिका हो। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 06.08.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर) 6/8/21 पीठासीन अधिकारी .... डीआर मार्क मेव्यर्स पत्रावली अनुसार दिनांक 25/11/21 को पेश हो रीडर एस0डी0ओ0/एस0डी0एम0 बयाना 25/11/21 पीठासीन अधिकारी .... प्रार्थी ... पत्रावली अनुसार दिनांक 10/2/22 को पेश हो	कवित/ कवित/

रीडर

एस0डी0ओ0/एस0डी0एम0 बयाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Trilok Chand Meena
Date: 2023.02.22 11:43:20 IST
Reason: SelfAttested

अवमाननार्थ पीठासीन अधिकारी दिनांक 14/6/22 को पेश हो
01/7/22 पत्रावली पूर्वानुसार

रीडर
एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बयाना

पेश रिपोर्ट हेतु पीठासीन अधिकारी दिनांक 28/10/22 को पेश हो
1/ पत्रावली पूर्वानुसार

रीडर
एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बयाना

अवमानना पर पीठासीन अधिकारी दिनांक 20/11/22 पेश हो
28/10/22 पत्रावली पूर्वानुसार

रीडर
एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बयाना

6/12/22 प्रकरण आज स्व० प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर ... प्रार्थीगण ... की ओर से ... ने ... पेश कर निवेदन किया कि वह अपना प्रार्थना पत्र आगे नहीं चलाना चाहते हैं प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किए जाने का निवेदन किया. इस प्रार्थीगण को सुना। प्रार्थीगण अपना प्रार्थना पत्र आगे नहीं चलाना चाहते हैं प्रार्थीगण की पहचान ... प्रार्थना पत्र ... प्रार्थीगण प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर खारिज किया जाता है प्रकरण ... होकर नंबर से कम हो दाखिल दफ्तर हो

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Trilok Chand Meena
Date: 2023.02.22 11:43:20 IST
Reason: SelfAttested